राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –2520/2015
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –2513/2015
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –2519/2015
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –2521/2015
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –2522/2015
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –2728/2015
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –2753/2015
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –2761/2015
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –2762/2015
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –3084/2015

आदेश दिनांकः– **31.01.2019**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थितः–
अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :– श्री जितेन्द्र मिश्रा
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :– श्री दौलत शर्मा

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –2520/2015

प्रार्थना पत्र संख्या–4454 व 4453 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सी.पी.सी. व धारा–5 मियाद अधिनियम मृतक प्रत्यर्थी संख्या–4 रमेशचन्द, जिसकी मृत्यु दिनांक 12.09.2018 को होना बताया गया है, के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लेने, उपशमन अपास्त करने व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं जिस पर योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया ।

धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए व विलम्ब की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए व विशेष रूप

से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक रमेश चन्द के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिया जा चुका है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यदि कोई उपशमन हो तो उसे अपास्त किया जाता है व मृतक प्रत्यर्थी संख्या–4 रमेशचन्द, के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लिया जाता है ।

संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी / 24 से 33